प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 27/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भाद्दविप्रा ने "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 06 जून 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन" पर अपना परामर्श पत्र जारी किया ।

भारत का दूरसंचार परिदृश्य वर्तमान में अत्याधुनिक नेटवर्क संरचना और सेवाओं द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 5G नेटवर्क का आगमन अभूतपूर्व संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें अल्ट्रा-हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, निम्न विलंबता और व्यापक उपकरण एकीकरण शामिल हैं। इस परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में, दूरसंचार अभिज्ञापक (टीआई) कुशल संचार और नेटवर्क प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीआई सार्वभौमिक पहुंच के आधार पर कार्य करता है, जो विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों में उपभोक्ताओं, व्यवसायों और उद्योगों को विश्वसनीय सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।

2. राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप टीआई संसाधनों के आवंटन और उपयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से मौजूदा और संभावित सेवाओं के लिए नंबरिंग स्पेस और इसके विकास को परिभाषित करता है, जिसका लक्ष्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करना और समय से पहले कमी के बिना कुशल विस्तार की सुविधा प्रदान करना है।

3. आईटीयू के दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (ITU-T) सिफारिशों के ई.164 के आधार पर, फिक्स्ड और मोबाइल नेटवर्क दोनों के लिए दूरसंचार अभिज्ञापकओं का प्रबंधन दूरसंचार विभाग करता है। वर्ष 2003 में, दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं की तीव्र वृद्धि को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय संख्या योजना की व्यापक समीक्षा और संशोधन किया। यह दूरदर्शी योजना, जिसे राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान 2003 के रूप में जाना जाता है, जिसे देश भर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नंबरिंग संसाधन को आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी। हालांकि, 21

वर्षों के बाद, सेवाओं के विस्तार और कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि के कारण नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता अब खतरे में है। 31 मार्च, 2024 तक वर्तमान कुल 1,199.28 मिलियन टेलीफोन ग्राहकों और 85.69% के टेली-घनत्व के साथ, दूरसंचार अभिज्ञापकओं (टी आई) के उपयोग का आकलन करना और दूरसंचार सेवाओं के निरंतर विकास के लिए एक स्थायी संग्रह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

4. भादूविप्रा को 29 सितंबर 2022 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी गई थीं। तीव्र विकास के कारण पर्याप्त फिक्सड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित वर्तमान और संभावित भविष्य की बाधाओं के समाधान करने के लिए भी दूरसंचार विभाग ने अनुरोध किया है।

5. इस परामर्श पत्र (सीपी) का उद्देश्य दूरसंचार अभिज्ञापक (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का आकलन करना है। यह आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए संभावित संशोधनों का भी प्रस्ताव करता है, ताकि टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जा सकें ।

6. हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट https://trai.gov.in/release-publication/consultation पर प्रस्तुत किया गया है । राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन पर हितधारकों से 04 जुलाई 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 18 जुलाई 2024 तक प्रति टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

7. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, सलाहकार (बीबी एंड पीए), भादूविप्रा के ईमेल advbbpa@trai.gov.in पर तथा एक प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से दूरभाष संख्या +91-11- 20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।.

(शिव भद्र सिंह)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा